

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 389/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.10.2026

थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़

हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत सुबाष निषाद हत्याकांड में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने भैरवदासपुर पुलिसिया के पास से गिरफ्तार किया।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 07.10.2026 की रात्रि में बिन्दु देवी पत्नी सुबाष निषाद, निवासी ग्राम सारंगपुर, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना महराजगंज पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि उनके पति सुबाष निषाद (उम्र लगभग 45 वर्ष) की भुलेन्द्र गौड़ पुत्र फूलचन्द, निवासी ग्राम सारंगपुर, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ एवं एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाले में गिराकर हत्या कर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 240/2026 धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के नेतृत्व में दिनांक 08.10.2026 को थानाध्यक्ष जयप्रकाश पुलिस टीम के साथ अभियुक्त की तलाश में निकले थे। तलाश के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त भुलेन्द्र गौड़ को भैरवदासपुर पुलिसिया के पास से दिनांक 08.10.2026 को समय 09:55 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

भुलेन्द्र गौड़ पुत्र फूलचन्द, निवासी ग्राम सारंगपुर, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 240/2026, धारा 103(1) बीएनएस, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष उ0नि0 जयप्रकाश
 2. का0 राहुल कुमार राम
 3. का0 ओमप्रकाश यादव
 4. का0 अंकुश यादव
 5. म0का0 सुनिधि यादव
- थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति को मिली राहत, साइबर टीम ने ₹25,450/- की धनराशि कराई वापस

जनपद आजमगढ़ के थाना रौनापार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बैदौली निवासी जगदीश भारती पुत्र गोपाल भारती के बैंक खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से ₹1,15,090/- की धनराशि निकाल ली गई थी। आवेदक का मोबाइल फोन दिनांक 13.04.2026 को दिल्ली में चोरी हो गया था। इसके बाद दिनांक 17.04.2026 को नया सिम चालू करते ही उनके बैंक खाते से उक्त धनराशि निकल गई। इस संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक 18.04.2026 को साइबर शिकायत संख्या 33104260085818 दर्ज कराई गई थी।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साइबर टीम द्वारा संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर फ्रॉड की गई धनराशि में से ₹95,653.61/- विभिन्न खातों में होल्ड कराए गए। इनमें से ₹25,450/- दिनांक 08.10.2026 को MRM पोर्टल के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में वापस करा दिए गए हैं। शेष होल्ड धनराशि को भी वापस कराने की कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस टीम: साइबर टीम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

